

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 05/2022(2022/37)

1. बैजनाथ पुत्र श्री रायमल जाट जाति जाट निवासी प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♣ बनाम ♣

1. लादी पत्नी सूरजकरण जाट।
2. शंकरलाल पुत्र श्री सूरजकरण जाट।
3. सुखलाल पुत्र श्री सूरजकरण जाट।
4. सुरेश पुत्र श्री सूरजकरण जाट।
5. सवाईराम पुत्र श्री रायमल जाट।
6. हंसराज पुत्र श्री रघुनाथ जाट।
7. श्रवण पुत्र श्री माधु रेगर।
8. रामस्वरूप पुत्र श्री लादूराम रेगर।  
सभी निवासी ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपरिस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री सॉवरलाल चौधरी

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी


आदेश

दिनांक 7.9.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत् 2069-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
504-540	4470	1.40	चाही-2 खड्डा
	5779/4467	0.15	गै.मु.पाल
	कुल किता 2	रकबा 1.55हेक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार में दर्ज हैं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी है तथा मोके पर पडौसियों को सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा होने का सदैव अन्देशा बना रहता है उपरोक्त वर्णित आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी नही होने से आये दिन सीमा विवाद व मेड को तोड देते है व पडौसियों के मध्य विवाद होता रहता है प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सीमाज्ञान से अप्रार्थीगण संतुष्ट नही है तथा अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है दिनांक 25.12.2021 को प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात को हाकने गये तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा फसाद करने लग गये एवं प्रार्थी को हाकने चौकने नही दिया तथा झगडा फसाद करने लग गये इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। स्थाई पत्थरगढी व


  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)

सीमा चिन्ह लगाये जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नहीं है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढ़ी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत् 2069-76 के खाता संख्या नया पुराना 504-540 के खसरा संख्या 4470, 5779/4467 के रकबा 1.40, 0.15 हैक्टर की पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अ.स.भर)